कार्यालय जिला न्यायालय,उत्तरकाशी ।

टेलीफोन– 01374–222287, फैक्स नं0– 01374–222701 Email ID = dj-utt-ua@nic.in

संख्या– 02 / 2021-22 उत्तरकाशी, दिनांक: 11 मार्च, 2022

अधिष्ठान जिला न्यायालय उत्तरकाशी में फर्नीचर की आपूर्ति व्यवस्था हेतु "ई–निविदा"

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा तद्विषयक समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में अधिष्ठान जिला न्यायालय,उत्तरकाशी में अनुमानित सात लाख रुपये(7,00,000/–) मात्र फर्नीचर आपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु GST में पंजीकृत अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों (एकल/साझेदार) से निम्न प्रकार द्वि–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र० सं०	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	धरोहर राशि।	**www.uktenders.gov.in** पर निविदा अपलोड होने की तिथि	ई–निविदा अपलोड करने तथा कार्यालय जिला न्यायालय उत्तरकाशी में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, व ब्लैक लिस्टेड न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र आदि की मूल प्रति प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय
	2	3	4	5	6
1	अधिष्ठान जिला न्यायालय उत्तरकाशी में फर्नीचर आपूर्ति की व्यवस्था	रु० 1,180/– (जी.एस.टी. सहित)	रु० 21,000/–	दिनांक 11.03.2022 समय 10 बजे प्रातः	दिनांक 17.03.2022 समय 01 बजे दोपहर

नोडल अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

ANNEXURE-1

जिला न्यायालय उत्तरकाशी हेतु फर्नीचर की आपूर्ति व्यवस्था

" ई–निविदा का सार पत्र "

1– फर्म का नामः–

2– फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल आईडी सहित):–

3– फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):–

4– GST पंजीकरण एवं अन्तिम GST Clearance अनिवार्य :–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5– फर्म आदि का स्थाई लेखा संख्या (PAN नम्बर):–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6– विगत तीन वर्षों यथा–2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से किन्ही एक वर्ष का रु० 10 लाख तक का टर्न ओवर इसी कार्य की प्रवृति का होना आवश्यक होगा। प्रत्येक वर्ष की बैलेन्स शीट सी.ए. द्वारा प्रमाणित व संपीक्षित होनी चाहिए।

7– ब्लेक लिस्टेड न होने आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ–पत्र नोटरी सहित, संलग्न करें:–

8– वर्ष–2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में जमा आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य।
(प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

9– धरोहर की जमा राशि (EMD) का विवरणः–
(बैंक ड्राफ्ट दिनांक एवं धनराशि अंकित करें)

10– निविदा फार्म हेतु निर्धारित शुल्क का विवरणः–
(बैंक ड्राफ्ट, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें)

11– ISO के अन्तर्गत अनुमोदित, का विवरणः–(यदि लागू हो)
(प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

12– संलग्नकों की संख्याः–

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि जिला न्यायालय उत्तरकाशी में फर्नीचर की आपूर्ति व्यवस्था से तद सम्बन्धि शर्तों को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता..
फोन/फैक्स नं0..मोबा0नं0.............................
ई–मेल आई.डी. –
स्थान.................................दिनांक...

फर्म की मुहर यहां
पर लगाई जाय।

ANNEXURE-2

जिला न्यायालय उत्तरकाशी में फर्नीचर आपूर्ति व्यवस्था आदि ई–निविदा प्रारूप (BOQ) का विवरण

कमांक	अच्छी गुणवत्ता युक्त फर्नीचर सामग्री संलग्नक विशेष विवरण (Specificaitions) के अनुसार	दर का अधार	दर रुपये में (जी.एस.टी. एवं समस्त करों सहित)
1	डायस कुर्सी	प्रति दर	
2	डायस मेज	प्रति दर	
3	सोफा सेट (अधिकारी विश्राम कक्ष)	प्रति दर	
4	सेन्टर टेबिल (अधिकारी विश्राम कक्ष)	प्रति दर	
5	चैम्बर मेज (अधिकारी विश्राम कक्ष)	प्रति दर	
6	चैम्बर रिवालविंग कुर्सी (अधिकारी विश्राम कक्ष)	प्रति दर	
7	आलमारी स्टील	प्रति दर	
8	कार्यालय मेज	प्रति दर	
9	बैंच स्टील	प्रति दर	
10	रैक स्टील (खुली)	प्रति दर	
11	स्टूल लकडी	प्रति दर	
12	कार्यालय कुर्सी	प्रति दर	

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता...
फोन / फैक्स नं0.......................................मोबा0नं0..............................
ई–मेल आई.डी. –
स्थान.................................दिनांक..

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

Furniture Specifications

1.	Dias Chair (डायस कुर्सी)	Dias Chair made of teak wood (Back Height 5 feet 3 inch) with well covered foam velvet duly polished seat .Four legged chair with armrest,having wooden design ashok lat symbol on middle of the back top of the Chairs,all wooden having melamine finished.
2.	Dias Table (डायस मेज)	Size 7 x 3.5 feet Height 1.5 Feet from bottom with Solid wooden top approx 1"+. all wooden having melamine finished.
3.	Sofa Set (सोफा सेट)	Sofa(3-seater and 2-One seater), Inner frame of tun -wood & arms of teak wood seat having 100 mm thick 40 density foam& back 45 mm thick 28 density foam upholstered with fabric fixed with springs.
4.	Center Table (सेंटर टेबल)	Center Table size-L 1200 x W600 x H445 mm. double top upper top with 10mm thick glass & lower made of teakwood veneer high class melamine finished.
5.	Chamber Table (चेंबर मेज)	Size 5x 3 x2.5 feet made of 19mm. thick block board 2.5 mm thick core teak veneer ,ply & teak wood with laminated sheet fixed top 0.8mm thick glass both side one drawer and one cupboard unit with well melamine finished.
6.	Chamber Revolving Chair (चेंबर रेवोल्विंग कुर्सी)	Revolving & tilting armed chair base crome plated fixed with 5 no's ball castors with hydrolic system seat-height adjustment. Seat and back having 75mm. foam castors with leatherette cover.
7.	Steel Almirah (अलमारी स्टील)	Size 78" x 36"x19", 18/20 gauge, having four shelves 5 compartments with handle & locking good quality system with painted.
8.	Steel Bench बेंचस्टील (3 सीटर)	Three Seater Steel chair size : 1800mmx700mmx790mm (Length x Depth x Height) The unit is a 3 seated waiting chair with two arms at ends. The seat and back should be continuous and made of perforated steel. The arms and legs should be die casted polished and chrome plated. The supporting beam should be made from tubular steel .
9.	Steel Rack (रैक स्टील)	4 compartment Open steel rack size 78" x 36"x15" made of sloted angles of 18 gauge.
10.	Wooden stool (स्टूल लकड़ी)	Stool should be in solid shisham wood. top size:- W-400 mm, D- 400 mm, thickness-20 mm. top should be solid. leg thickness:- 50 mm x 50 mm. leg should be square shape. height of the stool:- 500 mm.
11.	Office Chairs (कुर्सी)	office visitor armed chair W xH (1 ft 6 in x2 ft 11 in) black pre assembled. 25 mm round based pipe 16 gauge. Cushion sheet and back steel frame.
12.	Office Table	1. Size 4 x 2.5x2.5, Frame made of MS Tubular frame board top 19mm thick with laminated sheet fixed. One side 3 drawer steel frame. 2. Size 4.5+ x 2.5x2.5, Frame made of MS Tubular frame board top 19mm thick with laminated sheet fixed. One side 3 drawer steel frame and Others side one drawer and one cupboard steel frame.

–: ई–निविदा–दाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें :–

1) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों एवं शासन द्वारा तद्–विषयक समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में जिला न्यायालय उत्तरकाशी हेतु फर्नीचर की आपूर्ती की व्यवस्था।

2) हेतु द्वि प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर पंजीकृत अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों के इच्छुक निविदा–दाताओं से वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा केवल ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है।

3) ई–निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।

4) निविदा–दाता द्वारा तकनीकी बिड **ANNEXURE-1** में एवं वित्तीय ई–निविदा केवल निर्धारित प्रारूप **BOQ (ANNEXURE-2)** में ही ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी, अन्य किसी भी प्रारूप आदि पर वित्तीय ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तकनीकी ई–निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय ई–निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

5) उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त **ई–निविदाओं** की तकनीकी निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय को निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा, उपस्थित निविदा–दाताओं के समक्ष खोला जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी ई–निविदाओं का अधिकृत सक्षम अधिकारियों के द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा। निविदा–दाताओं की अनुपस्थिति में तकनीकी निविदा न खोले जाने का कोई आधार नहीं होगा।

6) **पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति** तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।

7) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म को सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना आवश्यक होगा। प्रस्तुत कर्ता फर्म को राजकीय अधिष्ठानों में किये गये सम्बन्धित कार्य का अनुभव के साथ–साथ सम्बन्धित कार्य का सन्तोषजनक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

8) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को **₹100/– के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ–पत्र ***ई–तकनीकी निविदा के साथ मूल रूप में*** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि:–

   1– फर्म आदि ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

   2– किसी भी सरकारी विभाग/कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई विधिक विवाद नहीं है।

   3– तकनीकी ई–निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, छिपाई नहीं गई है।

9) **वित्तीय वर्ष–2018–19,2019–20 एवं 2020–21 में** जमा आयकर रिटर्न से संबंधित **रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति अपलोड करनी** अनिवार्य होगी।

10) निविदा के साथ धरोहर (EMD) के रूप में **₹21000/–(इक्कीस हजार)** मात्र की धनराशि बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, और **जिला न्यायाधीश,उत्तरकाशी** के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ अपेक्षित धरोहर की **धनराशि अपेक्षानुरूप** प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

11) धरोहर की धनराशि का बैंक ड्रफ्ट या अपेक्षानुसार अन्य जो भी हो, की फोटो स्टेट स्व प्रमाणित प्रति तकनीकी ई–निविदा के साथ में वेबसाईट में अपलोड करनी होगी और इसकी मूल प्रति

निर्धारित तिथि समय तक कार्यालय नजारत,जिला न्यायालय,उत्तरकाशी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12) निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा ई–तकनीकी निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा–दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा–दाताओं की ही यथा समय वित्तीय ई–निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी रूप से अनर्ह पाए गए निविदा–दाताओं की वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेंगी।

13) नियमानुसार ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म आदि की ई–वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात सामग्रीवार (Item-wise) न्यूनतम दर के अनुरूप निविदा के कुल न्यूनतम योग के आधार पर सम्बन्धित फर्म को एल0–1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

14) L1 में वर्गीकृत फर्म को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनत्तम दर के आधार पर आगणित धनराशि का ***10 प्रतिशत की धनराशि*** एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की फिक्स डिपोजिट, सावधि जमा रसीद **के द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति** (Performance Security) **के रूप में प्रस्तुत** करनी होगी। कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि **5–5%** के दो अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट अथवा सावधि जमा रसीद, जिस किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किया गया हो प्रस्तुत करनी होगी। कार्यादेश के अनुसार आपूर्ति के सन्तोषजनक निरीक्षण के पश्चात 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि शीघ्र लौटा दी जायेगी शेष 5 प्रतिशत की धनराशि सन्तोषजनक कार्य एवं व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात ही यथा समय लौटाई जायेगी।

15) फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी निविदा धरोहर की धनराशि (EMD) को **व्यवस्था की पूर्ति प्रतिभूति** की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि, धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

16) ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा सामग्रीवार (Item-wise) प्राप्त न्यूनतम दरों के अनुरूप **अंत में आगणित कुल न्यूनतम धनराशि** के आधार पर एल0–1 में **वर्गीकृत** फर्म आदि के द्वारा, कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का लिखित/मौखिक अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है,या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से बाहर होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17) निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–1 में वर्गीकृत फर्म को कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में अपेक्षित सामग्री उपलब्ध न कराने पर संबंधित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए **Liquidated Damage के रूप में कार्यादेश** के अनुरूप **अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का विभाग** द्वारा दावा किया जा सकेगा, **जो कार्यपूर्ति प्रतिभूति** की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगी। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन **₹2000/– (दो हजार)** की धनराशि पैनाल्टी के रूप में लागू होगी जो अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में विभाग, फर्म आदि के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।

18) समय पर सन्तोषजनक ढ़ंग से सामग्री आपूर्ति हेतु ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

19) निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार किसी भी फर्म की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म को **₹ 100/– के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर** पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा।

20) **तकनीकी ई–निविदा** के रूप में निम्नलिखित अभिलेखों आदि की **स्व** प्रमाणित छाया प्रति जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर भी लगी हो तथा फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किए गए हों ANNEXURE-1 पर सांराश सहित स्केन कर ई–तकनीकी निविदा के रूप में ऑन लाईन अपलोड की जानी चाहिएः–

1–व्यापार पंजीकरण तद् सम्बन्धी स्वप्रमाणित अभिलेख।

2–फर्म (एकल/साझेदार) आदि का पैन/जीएसटी कार्ड की स्वप्रमाणित स्वच्छ फोटोस्टेट प्रति

3– *अनुभव प्रमाण के साथ–साथ सम्बन्धित कार्य के सन्तोषजनक कार्य/आपूर्ति की प्रति।*

5–ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र मूल प्रति। (तकनीकी ई–निविदा के साथ स्केन कॉपी अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति बन्द लिफाफे में अपेक्षानुसार प्रस्तुत करनी होगी।)

8–EMD के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार ड्राफ्ट।

9–निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की स्व प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म (एकल/साझेदार) आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

10–निविदा फार्म हेतु निर्धारित शुल्क **₹1,180/– (₹ एक हजार एक सौ अस्सी मात्र)** (जी.एस.टी. सहित) **Non Refundable** बैंक ड्राफ्ट तकनीकी ई–निविदा के साथ स्केन कॉपी अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति बन्द लिफाफे में अपेक्षानुसार प्रस्तुत करनी होगी।)

11– ISO के अन्तर्गत अनुमोदित हो (जिस पर लागू हो) की प्रति संलग्न करें।

12–मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय तक नजारत कार्यालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी में प्रस्तुत करनी होगीः–

क–निविदा शुल्क से सम्बन्धित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट।

ख–धरोहर की धनराशि (EMD) से सम्बन्धित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद **(किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किया गया हो)**

ग–फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र।

1) **वित्तीय ई–निविदा** में अधिष्ठान जिला न्यायालय उत्तरकाशी हेतु फर्नीचर की आपूर्ति की व्यवस्था। BOQ में प्रस्तुत वित्तीय ई–निविदा में दरें समस्त करों सहित (CGST, SGST & Other Taxes) जिला न्यायालय उत्तरकाशी **में समय पर पहुंचाने हेतु परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित** सम्मिलित होंगी।

2) कार्यापूर्ति आदेश के पश्चात फर्म के द्वारा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगी। फर्नीचर की आपूर्ति मुख्यालय उत्तरकाशी में यथास्थान (जिस स्थान के लिये वांछित है)पर आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापित किये जायेंगें। ज्वांइन्ट किये जाने योग्य फर्नीचर पूर्णतः ज्वांइन्ट करने पश्चात यथास्थान पर स्थापित किये जायेगें। मुख्यालय में सम्पूर्ण फर्नीचर स्थापित करने उपरान्त यदि फर्नीचर में कुछ समय पश्चात किसी कारण से कुछ खराबी/कमियां पायी जाती है तो सम्बन्धित कमियों को आपूर्तिकर्ता द्वारा 15 दिन के अन्दर सही करना होगा। जिसके लिये अतिरिक्त शुल्क अदा नही किया जायेगा।

3) निविदा की शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म आदि को निविदा की वैधता समाप्ति के

पश्चात माननीय जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी के निर्देशानुसार ही उनकी कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।

4) देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।

5) सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी रूप से असफल निविदा–दाताओं की धरोहर की धनराशि ऐसी निविदाओं की अस्वीकृति के तुरंत पश्चात संबंधित फर्म को वापस लौटा दी जायेगी।

6) आपूर्ति की गयी सामग्री यदि खराब/टूट–फूट/बुरी गुणवत्ता की निकलती है तो आपूर्तिकर्ता फर्म को द्वारा सम्बन्धित सामग्री को 07 दिन के भीतर बदलकर देनी होगी। प्रत्येक आपूर्ति की गई सामग्री की गारन्टी स्पष्ट करनी अनिवार्य होगी।

7) कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित समयान्तर्गत अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति की जानी नितान्त आवश्यक होगी, विलम्बतम् एक सप्ताह अन्दर आपूर्ति न किये जाने की दशा में आपूर्ति आदेश को निरस्त समझा जायेगा और सम्बन्धित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुए ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8) कार्यादेश के अनुरूप निर्धारित समयान्तर्गत गुणवत्ता के साथ अपेक्षित सामग्री आपूर्ति के फलस्वरूप तद्विषयक बिल भुगतान हेतु दोहरी प्रति में प्रस्तुत किये जायेंगे। बजट की उपलब्धता के अनुसार सम्बन्धित देयकों का यथा समय विभाग द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

9) निविदा–दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई–निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गई है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (ई–तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित है) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। **तकनीकी ई–निविदा के रूप में अपलोड किए गए कोई भी अभिलेख केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही सुस्पष्ट और साफ पठनीय होने चाहिए।**

10) अन्तिम रूप से L1 में वर्गीकृत फर्म के साथ नियमानुसार अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की तिथि से निविदा की वैधता एक वर्ष की होगी किन्तु वैधता की अवधि घटाने और बढ़ाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

11) ई–निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हों एवं तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए गए वांछित सभी अभिलेख क्रमबद्ध रूप से संलग्न किए गए हों। केवल वही अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए जांय जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हों अनावश्यक और अवांछित कोई भी अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड न किए जांय।

12) किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

13) आपूर्ति हेतु मांगी गई दरें आपूर्ति आदेश जारी होने के एक वर्ष तक मान्य होगी तथा एक वर्ष तक स्वीकृत दरों में फर्म को आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

14) सामग्री पर जिला न्यायालय उत्तरकाशी के साथ फर्नीचर की गारन्टी/वारन्टी लिखित रूप में अनुबन्ध पर देना होगा।

15) निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र उत्तरकाशी मुख्यालय होगा। मध्यस्थता (Arbitration) का अधिकार जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी में निहित होगा।

नोडल अधिकारी
/न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी।

<u>कार्यालय जिला न्यायालय, उत्तरकाशी।</u>

संख्या/ /2021–2022 दिनांक– 2022

प्रतिलिपिः– 1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा विवरण से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को आज ही जनपद की वैबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी।

ANNEXURE-3

जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी हेतु फर्नीचर सामग्री आपूर्ती की व्यवस्था हेतु
तकनीकी ई–निविदा के साथ अपलोड संलग्नकों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या (01 से तक)
1.	तकनीकी ई–निविदा का साराँश **ANNEXURE-1** (वांछित आईटीआर व अन्य सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।)	
2.	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) का GST पंजीकरण नम्बर से संबंधित अभिलेख।	
3.	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) का GST Card की प्रति ।	
4.	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) का अनुभव प्रमाण पत्र तथा तद सम्बन्धी कार्य सन्तोषजनक प्रमाण–पत्र की प्रति।	
5.	निविदा अभिलेख के मूल्य से संबंधित बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं मूल कॉपी अपेक्षानुसार।	
6.	प्रस्तुत निविदा के अनुसार EMD से संबंधित बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद की स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं मूल कॉपी अपेक्षानुसार ।	
7.	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) आदि के ब्लेक लिस्टेड न होने आदि के संबंध में वांछित शपथ–पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं मूल कॉपी अपेक्षानुसार प्रस्तुत करनी होगी।	
8.	निविदा के इस अभिलेख (Tender Document) की प्रति फर्म द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सत्यापित।	
9.	*अन्य (स्पष्ट करेंगे)*	

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता..
फोन/फैक्स नं0..मोबा0नं0............................
ई–मेल आई.डी. –
स्थान........... ....दिनांक..

फर्म की मुहर यहां
पर लगाई जाय।